प्रेस विज्ञप्ति

आज चेम्बर सभागार में चेम्बर अध्यक्ष रंजीत टिबडेवाल की अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा कानून विषयक् एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य रत्नेश्वर प्रसाद उपस्थित थे।

भारत सरकार के प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य रत्नेश्वर प्रसाद ने प्रतिस्पर्धा कानून से सम्बन्धित मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए इसे आम उपभोक्ता एवं देश के विकास में सहायक बताया। उन्होंने बताया कि प्रतिस्पर्धा कानून 2002 में बनाया गया था परन्तु अनेक कारणों से इसे 2009 में लागू किया गया। तब से आयोग ने अभी तक 200 केसों का निष्पादन किया है जिसमें बढते मूल्य पर नियंत्रण रखा जा सकेगा और प्रतिस्पर्धा अगर बढी तो, देश के आम उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ से लेकर भवन निर्माण, सडक निर्माण, शिक्षा, खेल, चिकित्सा आदि की अनेक वस्तुएँ निश्चित तौर पर सस्ती उपलब्ध होंगी। इस कानून को धरातल पर उतरने से बेरोजगारी की समस्या में कमी आयेगी। अमेरिका, यूरोप एवं चाईना इत्यादि देशों ने इसे अपनाया है और उत्पादकों के एकाधिकार को तोडने में सफलता पाई है। इसे और मजबूती से लागू करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पॉलिसी की आवश्यकता है जो पार्लियामेन्ट के पास पेन्डिंग पडी हुई है। इस पॉलिसी के आ जाने से केन्द्र एवं राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कारोबार करती है चाहे वो क्रय हो अथवा ठेकेदारी हो, उसमें निश्चित रूप से बचत होगी तथा इसका लाभ पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश उठा रहे हैं।

साथ ही उन्होंने कहा कि इस आयोग की परिधि में कोल इण्डिया लिमिटेड, भारतीय रेलवे, पेट्रोलियम कम्पनियॉ, डेयरी, चीनी मिलें इत्यादि जो अनाज के दाम बढा रही हैं, उनपर है। इस आयोग के माध्यम से उनपर भी मूल्य नियंत्रण पर शिकंजा कसा जा सकता है तथा आयोग के आदेश नहीं मानने पर सजा का प्रावधान है।

कार्यशाला में चेम्बर महासचिव प्रदीप कुमार जैन, कोषाध्यक्ष रंजीत गाडोदिया, कार्यकारिणी सदस्य प्रेम कटारूका, अंजली जैन, राहुल साबू, पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार पोद्दार, सदस्य आर.के. गाडोदिया, संजीव पोद्दार, आनन्द गोयल, पूनम आनन्द, छवि विरमानी, आर.एस. अग्रवाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

रंजीत टिबडेवाल
अध्यक्ष

पत्रांकःएफ.जे.सी.सी.आई / 2012.13 दिनांकः 26.11.2012

सभी प्रेस को प्रकाशनार्थ प्रेषित।